

दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973

मुख्य धारये

- 27— किशोरों के मामलों में अधिकारिता
- 29— दण्डादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे
- 30— जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश
- 42— नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
- 50— गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना
- 51— गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की तलाशी
- 54— गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा—व्यवसायी द्वारा परीक्षा
- 57— गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना
- 76— गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना
- 82— फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा
- 83— फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की
- 84— कुर्की के बारे में दावें और आपत्तियां
- 85— कुर्की की हुई सम्पत्ति का विक्रय करना और वापस करना
- 86— कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील
- 98— अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति
- 100— बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे
- 102— कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
- 107— अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
- 109— संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
- 110— अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
- 116— इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच
- 125— पल्नी, सन्तान और माता पिता के भरणपोषण के लिए आदेश
- 127— भूते में परिवर्तन
- 128— भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन
- 133— न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश
- 142— जांच के लंबित रहने तक व्यादेश
- 143— मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध का सकता है
- 145— जहाँ भूमि और जल से सम्बन्धित वादों से परिशान्ति भंग होना सभाव्य है वहाँ प्रक्रिया
- 146— विवादों की विषयवस्तु को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
- 154— संज्ञेय मामलों में इत्तिला
- 161— पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा
- 162— पुलिस से किये गये कथनों का हस्तांक्षरित न किया जाना कथनों का साक्ष्य में उपयोग

19

18

- 164— संस्वाकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना
- 169— जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना
- 173— अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
- 174— आत्महत्या पर पुलिस द्वारा जांच करना एवं रिपोर्ट देना
- 190— मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
- 193— अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान
- 193क— मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी
- 198— विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन
- 200— परिवादी की परीक्षा
- 203— परिवाद का खारिज किया जाना
- 204— आदेशिका का जारी किया जाना
- 205— मजिस्ट्रेट का अभियुक्त वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता
- 209— जब अपराध अन्नयतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना
- 216— न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है
- 219— एक ही वर्ष में किए गये एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा
- 228— आरोप विरचित करना
- 229— दोषी होने का अभिवचन
- 256— परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु
- 257— परिवाद को वापस लेना
- 260— संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति
- 265क— अभिवाक् सौदेबाजी
- 280— साक्षी की भावभंगी के बारे टिप्पणियां
- 300— एक बार दोषशिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
- 306— सहअपाधी को क्षमादान
- 311— आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति
- 311क— व्यक्ति को नमूने के हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के आदेश की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- 315— अभियुक्त व्यक्ति का संक्षम साक्षी होना
- 320— अपराधों का शमन
- 321— अभियोजन वापस लेना
- 328—329—विकृत व्यक्ति अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध
- 357— प्रतिकर देने का आदेश
- 357 ख— प्रतिकर का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326—क या धारा 376 घ के तहत जुर्माना के अतिरिक्त होना
- 357 ग— पीड़ितों का उपचार
- 362— न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में परिवर्तन न करना
- 366—371—मृत्यु दण्डादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना
- 374— दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील
- 376— छोटे में मामलों में अपील न होना

20

21

- 377— राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील
- 378— दोषसिद्धि की दशा में अपील
- 389— अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना
- 394— अपीलों का उपशमन
- 397— पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मौंगना
- 398— जॉच करने का आदेश देने की शक्ति
- 399— सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ
- 401— उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ
- 407— मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- 408— मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति
- 421— जुर्माना उद्ग्रहीत करने के लिए वारण्ट
- 424— कारावास के दण्डोश के निष्पादन का निलंबन
- 428— अभियुक्त द्वारा भोगी गयी निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना
- 433— दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति
- 436— किन मामलों में जमानत ली जा सकती है
- 437— अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती है
- 438— गिरफ्तारी की आंशका करने वाले व्यक्ति की सेशन न्यायालय की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश
- 439— जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ
- 441— अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र
- 446— प्रक्रिया, जब बंधपत्र सम्पहृत कर लिया जाता है
- 449— धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील
- 451— कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश
- 452— विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश
- 454— धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील
- 457— संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया
- 466— त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना
- 468— परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन
- 473— कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण
- 482— उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ